

## कार्यालय भामाशाह कृषि उपज मंडी समिति, कोटा

क्रमांक :-

दिनांक :- 09.06.2020

निमित्त श्रीमान उप वन संरक्षक

कार्यालय उपवन संरक्षक सिविल लाईन्स,

कोटा

विषय :- प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :- FP/RJ/Others/20036/2016 29.06.2016

### LAND FOR EXTENTION OF BHAMASHAH KRISHI MANDI SAMITI

उपरोक्त संदर्भ में लेख कर निवेदन हैं कि आप द्वारा दिनांक 16.05.2018 को लगाये आक्षेप के क्रम सं. 13 में उल्लेखित उप वन संरक्षक द्वारा उक्त भूमि एन.एच. 76 में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अंतर्गत जारी शर्त जिसमें एन.एच. 76 के 1 कि.मी. की परिधि में ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है उक्त प्रस्तावित वन भूमि ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत आती है। उप वन संरक्षक ने भी भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपेक्षित संशोधन कराये जाने के उपरान्त ही प्रत्यावर्तन किया जाना उचित बताया है। उप वन संरक्षक द्वारा इस संबंध में अब तक किये गये कार्य का विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है के संदर्भ में निवेदन है कि यूजर एजेन्सी द्वारा जब अपनी समस्त प्रस्तावित भूमि जो 96 हेक्टर है की नाप करवायी गयी तो यह तथ्य सामने आया की उपरोक्त उल्लेखित भूमि जिसका आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने एन.एच.76 की सैद्धान्तिक स्वीकृति के समय शर्त संख्या 5 में उल्लेख किया है वह भूमि यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि से अलग है।

अतः प्रार्थन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि कृपया आप पुनः मौके पर जाकर मौका मुआयना कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट नॉडल ऑफिसर को पेश करें जिससे यूजर एजेन्सी के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भूमि प्रत्यावर्तन हेतु भिजवाये जा सके।

(एम.एल.जाटव)

कृषि उपज मंडी समिति (भामाशाह)  
विशेष सचिव

भामाशाह कृषि उपज मंडी, कोटा